

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सं०सं०-05/स्था०-(एम०भी०आई०) 18/2012

दिनांक

आदेश

विभागीय आदेश सं०- 3546 दिनांक 31.08.2012 द्वारा नवनियुक्त 7 (सात) मोटरयान निरीक्षकों का योगदान उनके नाम के सामने कंडिका 4 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया गया है। निम्नलिखित इन 07 (सात) मोटरयान निरीक्षकों को अगले आदेश तक उनके नाम के सामने कंडिका 5 में अंकित जिले में पदस्थापित किया जाता है:-

क्रमांक	नव नियुक्त मोटरयान निरीक्षकों के नाम	गृह जिला	मुख्यालय में योगदान स्वीकृति की तिथि	पदस्थापन का जिला
01	02	03	04	05
1.	श्री विनोद कुमार	नवादा	07.09.2012 पूर्वाह्न	सारण (छपरा)
2	श्री संजय कुमार (33)	पटना	31.08.2012 पूर्वाह्न	जमुई
3	श्री मृत्युंजय कुमार सिंह	औरंगाबाद	03.09.2012 पूर्वाह्न	अररिया
4	श्री संजय कुमार अशक (40)	समस्तीपुर	31.08.2012 पूर्वाह्न	पटना
5	श्री गौतम कुमार	मुंगेर	12.09.2012 पूर्वाह्न	डोभी चेक पोस्ट गया अतिरिक्त प्रभार जिला परिवहन कार्यालय गया
6	श्री संजय कुमार टाईगर	नालंदा	31.08.2012 पूर्वाह्न	सासाराम (रोहतास)
7	श्री दिलीप कुमार	नालंदा	12.09.2012 पूर्वाह्न	सुपौल

- उक्त नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षकों को मुख्यालय में योगदान स्वीकृति की तिथि से अनुमान्य वेतन एवं भत्तों का भुगतान उनके पदस्थापन वाले जिले के जिला परिवहन कार्यालय से किया जायेगा।
- संबंधित जिला परिवहन कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी -सह-जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षक के प्रथम माह के वेतन की निकासी हेतु सरकारी प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रियानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से तीन दिनों के अन्दर अपने पदस्थापन वाले जिले में योगदान देते हुए प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- जिन जिला में नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षकों को पदस्थापित किया गया है, उन जिलों में पूर्व से कार्यरत मोटरयान निरीक्षकों को भी निदेश दिया जाता है कि नवपदस्थापित मोटरयान निरीक्षकों के योगदान देने के उपरांत अविलंब उन्हें उपर्युक्त अंकित जिले के कार्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे।
- इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

ह०/-

प्रधान सचिव

सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

क०प०३०

ज्ञापांक

पटना,दिनांक

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी,/सभी संबंधित संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार/सभी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी संबंधित मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक/ सभी विभागीय पदाधिकारी/कर्मी/बजट शाखा, परिवहन विभाग/स्थापना शाखा परिवहन विभाग एवं लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

ह0/-

प्रधान सचिव

सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक

पटना,दिनांक

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

प्रधान सचिव

सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक

4449

पटना,दिनांक

31-10-2012

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

संयुक्त परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना ।